संक्षेप में

आक्रामक विस्तार की तैयारी में एमजी मोटर

जेएसडब्ल्यू समूह को निवेशक के रूप में जोड़ने के बाद एमजी मोटर इंडिया को आक्रामक विस्तार योजना के साथ और तेजी से वृद्धि की राह पकड़ने की उम्मीद है। कंपनी के मानद मुख्य कार्य अधिकारी राजीव छाबा ने यह राय जताई है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने देश में अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रौद्योगिकी, ग्राहक अनुभव, लैंगिग विविधता और सामुदायिक सेवा के आधार पर पहले की मजबूत नींव स्थापित कर चुकी है। उन्होंने कहा, 'अब हम अगले चरण की वृद्धि की राह पर हैं।' चाबा ने कहा, 'अब निवेशक के आने के बाद मैं निश्चित रूप से तेज वृद्धि की राह और अधिक आक्रामक विस्तार योजनाओं की उम्मीद करूंगा। हम ठोस आधार का लाभ उठाएंगे।

सिग्नेचर ग्लोबल 1,200 करोड़ की जमीन खरीदेगी

रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल आवास परियोजनाओं के लिए हर साल 1,000-1200 करोड़ रुपये की जमीन खरीदेगी। कंपनी के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि जोरदार उपभोक्ता मांग को देखते हुए यह फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में सभी खंडों में आवास की मांग बहुत मजबूत रही है। *भाषा*

इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक बने ब्रजेश सिंह

केंद्र सरकार ने ब्रजेश कुमार सिंह को सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। बैंक ने रविवार को यह जानकारी दी। सिंह इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। इंडियन बैंक ने रविवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, 'केंद्र सरकार ने 9 मार्च, 2024 की अधिसूचना संख्या 4/1(8) के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक ब्रजेश कुमार सिंह को तीन साल के लिए इंडियन बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया है।' *भाषा*

लोक सभा चुनावों का वाहन उद्योग पर असर

फर्राटा भरेगी दोपहिया की बिक्री

शाइन जैकब, दीपक पटेल और सोहिनी दास
चेन्नई/नई दिल्ली/मुंबई, 10 मार्च

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव मांग बढ़ने के कारण कई उद्योगों के लिए वरदान साबित होगा। डीलरों का कहना है कि वाहन उद्योग के लिए चुनावी मौसम दोधारी तलवार जैसा हो सकता है। जहां एक ओर दो पहिया वाहनों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है वहीं दूसरी ओर यात्री वाहन जैसी अन्य श्रेणियों में गिरावट आ सकती है।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) जैसे संगठनों ने हाल ही में राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और साल 2019 में हुए आम चुनाव के रुझानों के बारे में बताया। फाडा के आंकड़ों के अनुसार, साल 2019 में अप्रैल और मई महीने में आम चुनाव हुए थे। इन दो महीनों के दौरान वाहनों की खुदरा बिक्री में एक साल पहले की तुलना में 8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी। एक महीने पहले की तुलना में भी अप्रैल 2019 में वाहनों की बिक्री में 4 फीसदी की गिरावट आई थी, हालांकि अगले महीने यानी मई 2019 में 5 फीसदी बढ़ा था। उल्लेखनीय है कि उद्योग के एक सूत्र से मिले यात्री वाहनों का साल 1992 से वार्षिक आंकड़ा दर्शाता है कि यह चिंता गलत भी हो सकती है।

लोक सभा चुनावों के दौरान अप्रैल और मई महीने में यात्री वाहनों की बिक्री में आ सकती है गिरावट, मगर दोपहिया वाहन बाजार में दिखेगी तेजी

यह पूछे जाने पर कि आगामी चुनावों का आने वाले दो महीनों में ह्युंडै की बिक्री पर क्या असर पड़ेगा, कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी तरुण गर्ग ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि चुनावों का कारों की बिक्री पर कोई सीधा असर पड़ेगा। मगर यदि आप इतिहास देखें तो साल 2019 में चुनाव के दौरान उद्योग ने बिक्री में 12 फीसदी की गिरावट दर्ज की थी। इस तरह साल 2014 में भी दो फीसदी की गिरावट आई थी। मुझे नहीं लगता है कि ये गिरावट चुनाव के कारण थी। उस वक्त यानी साल 2014 और 2019 में वैश्विक मंदी थी।'

फाडा के अनुसार, दोपहिया श्रेणी को छोड़कर लोक सभा चुनाव खेल बिगाड़ सकते हैं क्योंकि इससे खरीदारी में देरी हो सकती है। फाडा के प्रेसिडेंट मनीष राज सिंघानिया ने कहा, 'चुनाव के दौरान नकदी ले जाने पर प्रतिबंध रहता है इसलिए लोग नकद लेनदेन से गुरेज करत हैं। लोग वाहन खरीदने के लिए 2 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं मगर वे इसको लेकर आशंकित रहते हैं। हाल ही में संपन्न हुए राज्यों के चुनाव के दौरान हमने देखा कि अधिकारियों द्वारा गहन निगारीन से यात्री वाहनों की बिक्री में कुछ वक्त के लिए गिरावट आई, लेकिन चुनाव के फौरन बाद इसमें तेजी आने लगी।' उन्होंने कहा कि चुनावी फंड से दोपहिया वाहनों की बिक्री को बल मिलता रहेगा क्योंकि इनकी कीमत कम रहती है।

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछले साल 7 से 30 नवंबर तक हुए विधानसभा चुनाव का ही मामला लें। छत्तीसगढ़ में अक्टूबर 2023 की तुलना में नवंबर में कुल बिक्री में 76 फीसदी का इजाफा हुआ। इसमें दो पहिया वाहनों की हिस्सेदारी 98 फीसदी थी। वहीं, इसी अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में बिक्री में 85 फीसदी वृद्धि हुई, जिसमें दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी बढ़कर 105 फीसदी हो गई। राजस्थान के मामले में भी दोपहिया वाहनों की बिक्री 60 फीसदी से बढ़कर 85 फीसदी हो गई। इन सभी राज्यों में नवंबर में कुल बिक्री में दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 80-85 फीसदी रही। तेलंगाना के आंकड़े वाहन पोर्टल पर नहीं था।

लक्ष्य से चूकेगी इलेक्ट्रिक दोपहिया बिक्री!

सोहिनी दास और शाइन जैकब
मुंबइ/चेन्नई, 10 मार्च

वित्त वर्ष 24 में ई-दोपहिया की बिक्री नीति आयोग के 23 लाख के लक्ष्य से भारी अंतर से पीछे रह सकती है क्योंकि उद्योग अब तक केवल करीब 8,00,000 वाहन ही बेच पाया है।

उद्योग के सूत्रों का कहना है कि अपेक्षाकृत इस धीमी विकास दर के पीछे कई कारण हैं - जैसे छोटी स्टार्टअप बाजार में पहचान के लिए संघर्ष कर रही हैं। प्रमुख कंपनियों को फेम सब्सिडी की राशि के लिए जूझना पड़ा है और भारी छूट की वजह से अस्थायी वृद्धि हुई है, लेकिन साथ ही उत्पादों और ब्रांडों के मूल्य में गिरावट आई है। फरवरी तक भारतीय बाजार में बेचे गए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की संख्या 8,06,000 से अधिक रही जबकि पिछले साल इसी समय के दौरान यह संख्या 6,41,000 थी। हालांकि पिछले साल की तुलना में यह 26 प्रतिशत की वृद्धि है।

अलबत्ता ई-दोपहिया उद्योग न केवल नीति आयोग के 23 लाख के लक्ष्य से पीछे रहेगा, बल्कि वित्त वर्ष 23 के 10 लाख के लक्ष्य को भी पूरा करने में विफल रहेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ बातचीत में हीरो इलेक्ट्रिक के मुख्य कार्य अधिकारी सोहिंदर गिल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में ई-दोपहिया बिक्री का आंकड़ा 10 लाख से कम रहने का अनुमान है, जो नीति आयोग के 20 लाख से अधिक के महत्वाकांक्षी पूर्वानुमान की तुलना में खासा कम है।

आम तौर पर छोटी स्टार्टअप कंपनियों को बाजार में अपनी मौजूदगी स्थापित करने के लिए जूझना पड़ा है जबकि हीरो इलेक्ट्रिक, एम्पीयर, ओकिनावा और रिवोल्ट जैसे बड़ी कंपनियों का दबदबा रहा है।

हवाईअड्डों पर अदाणी समूह करेगा बड़ा निवेश

60 हजार करोड़ के निवेश की योजना

दीपक पटेल
नई दिल्ली, 10 मार्च

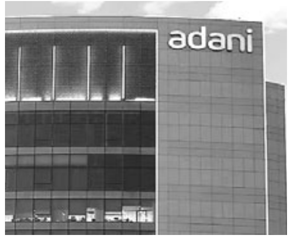

अदाणी समूह अपने सात मौजूदा हवाईअड्डों पर अगले 5 से 10 साल में 60,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बना रहा है, जो हवाईअड्डों की क्षमता में विस्तार और राजस्व सृजन की संभावनाओं पर होगा।

अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग (एएएचएल) के मुख्य कार्याधिकारी अरुण बंसल ने कहा कि अगले पांच साल में 30,000 करोड़ रुपये एयरसाइड पर खर्च होंगे, वहीं बाकी 30,000 करोड़ रुपये अगले 5-10 साल में सिटीसाइड पर खर्च होंगे। ये खर्च मौजूदा सात हवाईअड्डों मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलूरु, गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम में होंगे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि 60,000 करोड़ रुपये के इस पूंजीगत खर्च में नवी मुंबई एयरपोर्ट के पहले चरण के विकास के लिए आवंटित 18,000 करोड़ रुपये शामिल नहीं है, जिसका परिचालन मार्च 2025 में शुरू होना है। एयरसाइड किसी एयरपोर्ट का ऐसा सुरक्षित इलाका होता है जहां यात्री सिर्फ बोर्डिंग पास के साथ ही जा सकते हैं, वहीं सिटीसाइड या लैंडसाइड किसी एयरपोर्ट की सार्वजनिक जगह होती है, जहां कोई भी आ-जा सकता है। उन्होंने कहा, यह बड़ी रकम है, लेकिन अदाणी एंटरप्राइजेज अपने आंतरिक संग्रह के जरिए इसे समर्थन देगी। हम एक स्टार्टअप हैं, जो अदाणी एंटरप्राइजेज के तहत काम कर रहे हैं। ऐसे में अदाणी एंटरप्राइजेज हमारे लिए फंड का इंतजाम करेगी। रविवार को लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसके बाद बंसल संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। बंसल ने कहा, अपने मौजूदा एयरपोर्ट के सिटीसाइड में अदाणी समूह का लक्ष्य इंटिग्रेटेड सिटीज बनाने का है, जिसमें होटल, कन्वेंशन सेंटर, रिटेल आउटलेट और फूड व बेवरिजेज आउटलेट शामिल होंगे।

नवी मुंबई एयरपोर्ट के पहले चरण के विकास पर 18,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च अलग से होगा

सिटीसाइड के विकास के लिए 5 से 10 साल की समयसीमा की वजह बताते हुए बंसल ने कहा कि सिटीसाइड के विकास के लिए पर्यावरण मंजूरी, जमीन की मंजूरी आदि की दरकार होती है। हमारे कुछ एयरपोर्ट पर हमारी जमीन का अतिक्रमण विभिन्न मकसदों के लिए हुआ है, ऐसे में हमें इसे खाली कराना होगा। हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मंजूर मास्टर प्लान की दरकार होगी। जब यह हो जाएगा तो हम काम में तेजी लाएंगे। जहां भी मंजूरी उपलब्ध है, हम छोटे पैमाने पर काम शुरू कर रहे हैं और अगर ये मंजूरी तेजी से हासिल होती है तो हम इसे अगले पांच साल में करेंगे। उन्होंने कहा कि सिटीसाइड डेवलपमेंट के लिए रकम की कोई सीमा नहीं है।

बंसल ने कहा कि नवी मुंबई के पहले चरण के विकास पर 18,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च की योजना है। यह मार्च 2025 तक तैयार हो जाएगा। हमने वहां टर्मिनल-2 और दूसरे रनवे का निर्माण शुरू कर दिया है। दूसरे चरण के लिए बजट का आकलन अभी नहीं हुआ है। हम मास्टर प्लान पर काम कर रहे हैं।

'भारतीय नवप्रवर्तकों के लिए जिंदगी सरल बनाएं'

सोहिनी दास
मुंबई, 10 मार्च

उद्योग दिग्गज एवं महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने उन भारतीय नवप्रवर्तकों के लिए जिंदगी सरल बनाए जाने की हिमायत की जो 'दिग्गज और संभावित यूनिकॉर्न' हैं। चौथे सालाना अटल बिहारी वाजपेयी व्याख्यान में बोलते हुए महिंद्रा ने कहा कि उनकी चिंताओं को समझने के लिए उन्होंने लगभग सभी स्टार्टअप से बात की है। उन्होंने कहा, 'सरकार निवेशकों के लिए व्यवसाय करने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए काम कर रही है। हमारे उन नवप्रवर्तकों के लिए जिंदगी कैसे आसान बनाई जाए तो भविष्य के दिग्गज और संभावित यूनिकॉर्न हैं? हमें जरूरत है कि नियामकों को टास्कमास्टर के बजाय भागीदारों और प्रस्तावकों के तौर पर काम करना चाहिए। हमें उभरते भारत के लिए भारी मात्रा में नवाचार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और रास्ते में जितनी कम बाधाएं होंगी, उतना बेहतर होगा।' भारत शोध एवं विकास पर दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में अपनी जीडीपी का 1 प्रतिशत से कम खर्च करता है। वहीं अमेरिका और चीन जैसे देश इस पर 2 प्रतिशत से ज्यादा खर्च करते हैं। उनका यह भी मानना है कि सरकार ने शोध को बढ़ावा दिया है और उद्योग एवं समाज पर इसका असर दिखा है। उदाहरण के लिए, अपनी अवधारणा के समय इंटरनेट अमेरिका सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना थी। उन्होंने कहा, 'उच्च शिक्षा और अनुसंधान के हमारे संस्थान ऐसे मौलिक नवाचार पैदा करने के लिए अधिक सरकारी फंडिंग के साथ काम कर सकते हैं जिनका अंततः व्यावसायीकरण किया जा सकता है।'

स्मार्ट मीटर लगाने की देसी निविदा

अदाणी का तेजी का नजरिया टाटा का रुख चयनात्मक

अमृता पिल्लै
मुंबई, 10 मार्च

बिजली के मीटर स्मार्ट बनाने के भारत के इरादे से अनुमानित तौर पर 2.5 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का मौका मिल सकता है। इसके बावजूद भारत की दो अहम निजी वितरण कंपनियों टाटा पावर और अदाणी एनर्जी सॉल्युशंस ने इस सेगमेंट को लेकर अलग-अलग तरीका अपनाया है।

उद्योग के अधिकारियों ने कहा, समय पर मीटर लगाना और राज्य डिस्कॉम के स्तर पर तकनीक को अपनाना अहम कारक हैं।

भारत विभिन्न योजनाओं के तहत देश भर में 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने पर विचार कर रहा है, जिस पर 10-10 हजार रुपये प्रति इकाई की लागत आएगी (मीटर और रखरखाव)। ऐसे में उद्योग के अधिकारियों ने बाजार का आकार 2.5 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया है। हालांकि हर कोई इससे उत्साहित नहीं है।

टाटा पावर के अध्यक्ष (ट्रांसमिशन व डिस्ट्रिब्यूशन वर्टिकल) संजय कुमार बंगा ने बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में कहा, हमारी दिलचस्पी सिटी सर्किल में है। हम इस बाजार को लेकर बहुत आक्रामक नहीं हैं क्योंकि हमें इसके मुश्किलात का अंदाजा है।

जुलाई में टाटा पावर को छत्तीसगढ़ में 18.60 लाख मीटर लगाने और उसके रखरखाव का 1,744 करोड़ का ऑर्डर मिला था। टाटा पावर की प्रतिस्पर्धी अदाणी एनर्जी सॉल्युशंस के पास स्मार्ट मीटर कारोबार के लिए बड़ी योजना है। जनवरी में निवेशकों के साथ बातचीत में अदाणी एनर्जी सॉल्युशंस ने कहा था कि उसके पास 25,100 करोड़ रुपये के स्मार्ट मीटर के नौ अनुबंध हैं, जिसमें 21.1 करोड़ मीटर लगाए जाने हैं और बाजार हिस्सेदारी 21 फीसदी है। अदाणी एनर्जी सॉल्युशंस ने हालांकि गुरुवार को बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से दी गई प्रश्नावली पर टिप्पणी नहीं की।

अगस्त में बिजनेस स्टैंडर्ड को दिए साक्षात्कार में अदाणी एनर्जी सॉल्युशंस के प्रबंध निदेशक अनिल सरदाना ने कहा था कि बिजली वितरण कारोबार में 5-6 कंपनियां स्मार्ट मीटर लगाने के लिए सही मायने में उपयुक्त हैं। हालांकि निवेशकों संग ताजा बातचीत में अदाणी एनर्जी ने कहा है कि यह क्षेत्र शुरुआती कंपनी को उच्च एबिटा मार्जिन की संभावना की पेशकश करता है। टाटा पावर के बंगा ने कहा कि यह ऐसा क्षेत्र है जहां बड़ी जेब वाली कंपनियां ही प्रतिस्पर्धा करेंगी। उन्होंने कहा कि हमें मीटर लगाने में देरी मार्जिन को लेकर बड़ा जोखिम दिखता है और यह वैसी निविदा में होगा जहां राज्यवार गुंजाइश है। उन्होंने कहा, जब मीटर लगा दिए जाते हैं तब एक बार ही राजस्व मिलता है। अगर इसे लगाने में देर होती है तो यह मार्जिन को चट कर सकता है क्योंकि मीटर बेकार पड़ा रहेगा।

इस सेगमेंट ने नई कंपनियों मसलन जीएमआर पावर ऐंड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर को आकर्षित किया है, जिसके पास वितरण व स्मार्ट मीटरिंग दोनों योजना है। जुलाई में कंपनी को उत्तर प्रदेश में 75.69 लाख प्रीपेड मीटर लगाने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला। इस अनुबंध की कुल कीमत 7,593 करोड़ रुपये है।

प्रतिस्पर्धा तेज

- **25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने पर विचार कर रहा है भारत, उद्योग के अधिकारियों का कहना है कि यह पेशकश बाजार का आकार 2.5 लाख करोड़ रुपये रहने की संभावना बता रहा है**
- **जुलाई में टाटा पावर को छत्तीसगढ़ में 18.60 लाख मीटर लगाने और उसके रखरखाव का 1,744 करोड़ का ऑर्डर मिला था, अदाणी एनर्जी सॉल्युशंस के पास स्मार्ट मीटर कारोबार के लिए बड़ी योजना है**

यूको बैंक UCO BANK
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय – II, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
3 और 4, डीडी ब्लॉक, सेक्टर –1, साल्ट लेक, कोलकाता–700064

निविदा की सूचना

यूको बैंक निम्नलिखित मदों के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर.एफ.पी.) आमंत्रित करता है:–
1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंडपॉइंट और टेबल माइक्रोफोन की खरीद (पुनः निविदा) (ई–टेंडरिंग)।
2. चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सी टी एस) स्कैनर्स की खरीद के लिए विक्रेता का चयन (पुनः निविदा) (ई–टेंडरिंग)

किसी भी विवरण के लिए कृपया **https://www.ucobank.com** पर देखें।

(उप–महाप्रबंधक)
दिनांकः 11.03.2024 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

सम्मान आपके विश्वास का | Honours Your Trust

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
कॉर्पोरेट कार्यालय, वसूली विभाग, 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014.

गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों की बिक्री

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक की गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों का एकल / पूल आधार पर पात्र क्रेताओं को बिक्री करने का प्रस्ताव है। इच्छुक एआरसी / बैंकों / एनबीएफसी / वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित हैं। अधिक विवरण तथा बिक्री के प्रस्ताव का अवलोकन करने के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट **www.indianbank.in** देखें अथवा सहायक महाप्रबंधक, वसूली विभाग, कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै से उपर्युक्त पते पर संपर्क करें (दूरभाष 044-28134580, 28134576)। बिक्री का प्रस्ताव हमारे बैंक की वेबसाइट पर पोर्ट किया जाएगा।

दिनांक: 11.03.2024 उप महाप्रबंधक (वसूली)

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.
ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: क्रमांक 9, म.प्र. नगर, पहली स्ट्रीट, कोंगु नगर एक्सटेंशन, तिरुपुर - 641607।
कॉर्पोरेट कार्यालय: कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी.केलकर मार्ग, आर.जी.गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400028. फोन नंबर: 022-26544000/ 8591439533।

[परिशिष्ट - IV-ए] [नियम 8 (1), 8(6) का प्रावधान देखें]
चल एवं अचल संपत्ति के विक्रयार्थ ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (1), नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत चल एवं अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता (ओ) / गारंटर (रो)/बंधकर्ता (ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता अर्थात् ओमकारा एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल), जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत एक निगमीकृत कंपनी है तथा जो वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) (सरफॉएसि अधिनियम 2002") की धारा 3 के अंतर्गत एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ विधिवत पंजीकृत है और जिसका सीआईएन नं: U67100TZ2014PTC020363 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 9, एमपी नगर, प्रथम स्ट्रीट, कोंगू नगर एक्स, तिरुपुर 641607 तथा निगमित कार्यालय कोहिनूर स्क्वॉयर, 47यां तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028 में है, जो ओमकारा पीएस-26/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत् है, के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न वर्णित चल एवं अचल संपत्तियों (प्रतिभूत परिसंपत्ति (यो) का भौतिक अधिग्रहण कर लिया गया है। इसने पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएबएफएल) (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में विदित) की ओर से रेखांकितकारी प्रतिभूतियों के साथ उधारकर्ता (ओं)/सह-उधारकर्ता (ओं) / बंधकर्ता (ओं) की संपूर्ण बकाया राशियों के ब्याज एवं समस्त अधिकारों, स्वामित्वों का, एसाइमेंट अनुबंध दिनांकित 30-09-2021 के द्वारा, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 5 के अंतर्गत अधिग्रहण कर लिया है। इसके अतिरिक्त, अदर जनपदाधिकारी इंदौर द्वारा निर्गत आदेश दिनांकित 07-09-2022 के अनुसार, प्रतिभूत परिसंपत्ति (यों) का भौतिक अधिग्रहण प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 31-03-2023 को कर लिया गया है तथा उक्त परिसंपत्ति (यों) को निम्नांकित तिथि पर "जैसी है जहां हैं", "जैसी हैं जो हैं" तथा "वहां जो कुछ भी हैं" आधार पर बेचा जाएगा, जो कि निम्न उल्लिखित उधारकर्ता (ओं) / गारंटर (रो)/बंधककर्ता (ओं) की ओर से प्रतिभूत ऋणदाता को देय-मुल्येय निम्नांकित बकाया राशियों की वसूली के लिये किया जायेगा। आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा (ईएमडी) और अन्य विवरण निम्नानुसार उल्लिखित है:

उधारकर्ता एवं सह-उधारकर्ता का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	बकाया देय राशियां रु. में
1) आलोक जैन (उधारकर्ता/बंधकर्ता) 2) नीलम जैन (सह-उधारकर्ता)	आवासीय विभाजित भूमि सं. धारक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो ग्राम रुणाजी गौतमपुरा तहसील देपालपुर जनपद इंदौर पटवारी हलका नं. 5. न्यू 12 वार्ड नं० ७. बाग मोहल्ला सर्वे नं. 517, पेकी रकबा 0.063 (6728 वर्ग फुट), में स्थित अधि 6727 वर्ग फुट, आवासीय आरसीसी निर्माण क्षेत्रफल 174.25 वर्ग फुट है।	रु. 50,69,443/- (रुपये पचास लाख उनसत्तर हजार चार सौ तैतालिस मात्र) 16-04-2021 के अनुसार प्लस आज की तिथि तक राशि पर विदागत ब्याज एवं अन्य शुल्क

मांग सूचना की तिथि	अधिग्रहण की तिथि	आरक्षित मूल्य (रु.)	बयाना राशि (रु.)	निरीक्षण तिथि एवं समय
16.04.2021 एमएचएफएल द्वारा	31.03.2023	34,00,000	3,40,000	21.03.2024 दोपहर 2:00 ते दोपहर 4:00

1. वृद्धिशील मूल्य: रु. 70,000/-
2. ईएमडी के भुगतान और बोली फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि: 28-03-2024 शाम 6:00 बजे तक
3. नीलामी की तारीख और समय: 30-03-2024 समय: 03:00 बजे - 05:00 बजे

नीलामी के नियम एवं शर्ते:
1. इच्छुक बोलीदातागण जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोलीदान प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में सहायता की आवश्यकता है, वे ई-नीलामी सेवा प्रदाता "मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दूरभाष हेल्पलाइन +91-7291981124 / 25 / 26, हेल्पलाइन ई-मेल आईडी: support@bankeauctions.com या श्री भाविक पंख्या, मोबाइल: 88666 82937, ईमेल: maharashtra@clindia.com से संपर्क कर सकते हैं 2 संपत्ति संबंधी किसी भी प्रश्न अथवा अनुसूचीगत सपत्ति के निरीक्षण के लिए इच्छुक व्यक्ति संबंधित प्राधिकृत अधिकारी- कल्पेश ओझा (मोबाइल 9769825323), ई-मेल : kalpesh.ojha@omkaraarc.com से अथवा उपरोक्त वर्णित पते पर कार्यदिवसों के दौरान कार्यालय समयावधि में संपर्क कर सकते हैं।
विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया http://omkaraarc.com/auction.php में दिए गए लिंक को देखें।

सांविधिक हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) व 9 (1) के अंतर्गत विक्रय की सांविधिक सूचना

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) एवं 9 (1) तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता (ओं) / सह-उधारकर्ता (ओं) हेतु लागत एवं व्ययों के साथ यहां इसमें उपरोक्त तालिका में अंकितानुसार बकाया देयराशियों का भुगतान करके उनके द्वारा यदि वे इच्छुक है परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त करने की सलाह के साथ उपरोक्त संदर्भित तिथि एवं समय पर सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से विक्रय कार्यक्रम आयोजित करने के बारे में उन्हें सूचित करते हुये पंधरा दिनों (15) दिनों की एक अनिवार्य सूचना भी है। भुगतान में चूक की स्थिति में संपत्ति को भुगतान में चूक के मामले में, संपत्ति प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार के विवेक पर सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (5) के तहत निर्धारित किसी भी माध्यम से बेची जाएगी।

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी,
दिनांक: 11.03.2024 ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
स्थान: मुंबई (ओमकारा पीएस26/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए)

फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड नीलामी नोटिस

यह बड़े पैमाने पर जनता को सूचित करने के लिए है, कि फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने उन खातों (नीचे उल्लेखित) से संबंधित सोने के गहनों की नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया है जो अतिदेय हो गए हैं या जिनमें चूक या मार्जिन उल्लंघन ग्राहक हैं। नीलामी **शुक्रवार 22.03.2024 को सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच** नीचे निर्दिष्ट संबंधित शाखाओं में आयोजित की जाएगी। यह नीलामी प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगा।

बैतूल 7773027884,7773027884 **FEDGL0524**0000097, 0000104, 0000111, 0000115, 0000119, 0000351, 0000358, 0000359, 0000366, 0000875, 0000503 **इमामी गेट भोपाल** 9131907071,9981018266 **FEDGL0460**0001300, 0001306, 0001309, 0001310, 0001316, 0001317, 0001318, 0001319, 0001324, 0001329, 0001347, 0001368 **इंद्रपुरी** 9131907071,9131907071 **FEDGL0472**0001231, 0001262, 0001263, 0001274, 0001277, 0001287, 0001291, 0001302, 0001763 **इटारसी** 7898115051,7898115051 **FEDGL0511**0000409, 0000422, 0000430, 0000440, 0000452, 0000893, 0000913, 0001638, 0001434 **एमपी नगर भोपाल** 9981906616,9131084234 **FEDGL0495**0000676, 0000678, 0000688, 0000697, 0000700, 0000711, 0000946, 0000956 **टॉवर स्क्वेयर शाखा इंदौर** 7987184152,9399804332 **FEDGL0463**0000652, 0000673, 0000678, 0000854, 0000868, 0000870, 0001151, 0001165, 0001339 **विदिशा** 9424457923,9424457923 **FEDGL0512**0000296, 0000303, 0000310, 0000314, 0000320, 0000321, 0000326, 0000862 **विजय नगर** 9977250007,9977250007 **FEDGL0473**0001243, 0001270, 0001273, 0001276, 0001278, 0001600, 0001601, 0001623, 0001633

स्थान या दिनांक में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो हमारी वेबसाइट www.fedfina.com पर प्रदर्शित किया जाएगा। भाग लेने वाले सभी बोलीदाताओं को बाद में उनके द्वारा प्रस्तुत बोलियों की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में सूचित किया जाएगा। जो ग्राहक अपने गहने जारी करना चाहते हैं, उन्हें बेस ब्रांच पर जाना होगा जहां ग्राहक द्वारा गहने गिरवी रखे गए थे या 21.03.2024 को या उससे पहले ऊपर उल्लेखित नंबर पर संपर्क करन ा होगा।
नीलामी संबंधित शाखाओं में आयोजित की जाएगी, यदि किसी कारण से नीलामी दी गई दिनांक पर पूरी नहीं होती है, तो इसके संबंध में नीलामी हमारी वेबसाइट पर विवरण प्रदर्शित करने के बाद जिला स्तर की शाखा में अगले कार्य दिवसों में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आगे कोई सूचना जारी नहीं की जाएगी।

दिनांक : 11.04.2024 **प्रति, हस्ता अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**
स्थान : मध्यप्रदेश **फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड**

मणिभवनम होम फाईनेंस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ManiBhavnam Home Finance

कब्जा नोटिस [(परिशिष्ट IV) नियम 8(3)]

जबकि, मणिभवनम होम फाईनेंस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, (यहाँ आगे ''एमबीएचएफ'' कहा गया है), एमबीएचएफ जिसे केंद्र सरकार ने अधिसूचना दिनांकित 17.06.2021 द्वारा ''वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उद्देश्य हेतु एक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिकृत किया है, पंजीकृत कार्यालयः– दूसरा तल, एन–2, साउथ एक्सटेंशन पार्ट–1, नई दिल्ली–110049, ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (यहाँ आगे ''अधिनियम'' कहा गया है) के प्रावधानों के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोक कर मांग नोटिस दिनांकित 9 नवंबर, 2023 जारी किया था जिसमें **1. शांता बाई खरासूरिया पत्नी भीम सिंह खरसूरिया,** वार्ड नं. 02, गाँव दौलतपुर, सोनकच्छ, देवास, मध्य प्रदेश–455001। **अन्य पताः–** सेल निर्माण कंपनी, मेटवाड़ा, देवास, मध्य प्रदेश–455001। **अन्य पताः–** 31, दौलतपुर, गाँव दौलतपुर, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, मध्य प्रदेश–455118। **2. भीम सिंह खरसूरिया पुत्र नरबत सिंह खरसूरिया,** वार्ड नं. 02, गाँव दौलतपुर, सोनकच्छ, देवास, मध्य प्रदेश–455001। **अन्य पताः–** पाटीदार ट्रानफर एससीआरवी, ग्राम–दौलतपुर, सोनकच्छ देवास, मध्य प्रदेश–455118 **3. मोहन सिंह पुत्र नरबत सिंह,** वार्ड नं. 02, गाँव दौलतपुर, सोनकच्छ, देवास, मध्य प्रदेश–455001। **अन्य पताः–** ग्राम–दौलतपुर, सोनकच्छ देवास, मध्य प्रदेश–455118। **4. सोनल खरसूरिया पुत्री भीम सिंह खरसूरिया,** वार्ड नं. 02, गाँव दौलतपुर, सोनकच्छ, देवास, मध्य प्रदेश–455001। **अन्य पताः–** ग्राम–दौलतपुर, सोनकच्छ देवास, मध्य प्रदेश–455118
से **ऋण खाता सं. HL0000000005777** द्वारा नोटिस में उल्लिखित राशि अर्थात **दिनांक 01.11.2023 को रु. 5,93,605.21/– (रुपये पाँच लाख तिरानवे हजार छह सौ पाँच और इक्कीस पैसा मात्र),** इस पर लागू ब्याज और अन्य प्रभारों सहित उक्त नोटिस प्राप्ति की तारीख से साठ (60) दिनों के अंदर पुनर्भुगतान करने के लिए कहा।
कर्जदार द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का **06 मार्च, 2024** को कब्जा ले लिया है।
विशेष रूप से कर्जदार और सामान्य रूप में सर्व साधारण को संपत्ति से कोई लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति का कोई भी लेन–देन **दिनांक 01.11.2023 को रु. 5,93,605.21/– (रुपये पाँच लाख तिरानवे हजार छह सौ पाँच और इक्कीस पैसा मात्र),** इस पर लागू ब्याज और अन्य प्रभारों के लिए मणिभवनम होम फाईनेंस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।
प्रत्याभूत परिसंपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति / प्रत्याभूत परिसंपत्ति का विवरण निम्नवत् है:

''संपत्ति पी.एच. नं. 64 (सरल नं. 2337), मकान नं. 31, ग्राम–दौलतपुर, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, मध्य प्रदेश, कुल एरिया माप 450 वर्ग फुट (41.82 वर्ग मीटर) के सभी भाग व खंड''

प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः मध्य प्रदेश, दिनांकः 06.03.2024 **मणिभवनम होम फाईनेंस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड**

भोपाल संस्करण : बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा दैनिक भास्कर, प्लॉट नं. 10 व 11, सेक्टर बी, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल, म. प्र. 462023 से मुद्रित एवं सी/ओ अशोक कुमार जैन, शॉप नं. 1, पटेल मार्केट, संगम टॉकीज के समीप, भोपाल- 462001 से प्रकाशित
संपादक : कैलाश नौटियाल\ आरएनआई नं. MPHIN/2008/24603 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन – 033–22101314/1022/1600 फैक्स – 033–22101599
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्सबिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं